Regd. No. PB/CH-03 Class-III

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चंडीगढ़, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1996
(26 अग्रहायण, 1918 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 105/संवि०/अनु० 309/96., दिनांक 5 दिसम्बर, 1996, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1996	2715—2760
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि पर्चियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

Re. 1.00

हरियाणा सरकार

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 दिसम्बर, 1996

संख्या सा०का०नि०105/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप–ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1996, कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सलाहकार" से अभिप्राय है, सलाहकार, सिविल विमानन, हरियाणा ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण बोर्ड हरियाणा ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध, या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल विभाग (ग्रुप-ग) सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों में परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य तंजानियां (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें :

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पूर्व मास के प्रथम दिन को या उससे पहले 17 वर्ष से कम और 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सलाहकार द्वारा की जायेंगी ।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिय लिखित रूप मे कारण दिये जायेंगे ।

अयोग्यताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

लिपिक वर्गीय संवर्ग

(क) सामान्य सहायक (विभाग) तथा मुख्य सहायक (लेखा) की दशा में,—

(i) सेवा में सहायकों, लेखाकारों और वरिष्ठ आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) लेखाकारों और सहायकों की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, आशुटंककों, लेखा लिपिक, लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; ने

(घ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ,

(ङ) चालक की दशा में,—

(i) दफ्तरी, जमादार, सेवादार, चौकीदार-एवं-माली, चौकीदार-एवं-माली-एवं-स्वीपर, माली-एवं-चौकीदार और हैल्परों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) आशुटंकक की दशा में,—

(i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) लिपिक की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत पद दफ्तरी, सेवादार, जमादार, चौकीदार-एवं-माली, चौकीदार-एवं-माली-एवं-स्वीपर, माली-एवं-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ण) लेखा लिपिक की दशा में, –

(i) 20 प्रतिशत पद दफ्तरी, जमादार, सेवादार, चौकीदार-एवं-माली, चौकीदार एवं माली-एवं स्वीपर, माली-एवं-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

तकनीकी संवर्ग

(क) वैल्डिंग इंजीनियर की दशा में, –

(i) वरिष्ठ मकैनिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में से ऐसे पद पर पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तर या प्रतिनियुक्त द्वारा;

(ख) वरिष्ठ मैकेनिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ मकैनिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) भण्डारी (सुपरवाईजर) की दशा में,--

(i) भण्डारी/स्टोरमैन में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) कनिष्ठ मकैनिक की दशा में,—

(i) मददगारों मे से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही ऐसे पद पर लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) बिजली मिस्त्री की दशा में,—

(i) बिजली का काम जानने वाले मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) बैंच फिटर-एवं-खरादी की दशा में,—

(i) मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ;

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) डोप कामगार-एवं-रंगसाज की दशा में,—

(i) मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार में से ऐसे पद पर लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) काष्ठकार-एवं-ग्लाईडर मैकेनिक की दशा में,—

(i) विमान्न कर्मशाला में काष्ठकारी के काम को जानने वाले मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) कपड़ा श्रमिक-एवं-दर्जी की दशा में,—

(i) अधिमानतः विमान्न कर्मशाला में दर्जी तथा कपड़े का काम जानने वाले मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ञ) भण्डारी और स्टोरमैन की दशा में,—

(i) मददगारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानापन्न द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में, किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो, तो उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसको पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो:—

(i) यदि वह, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो, उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु तकनीकी तथा लिपिक वर्गीय संवर्ग में ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों को ऐसी नियुक्तियों में, ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; या

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में, अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा में किसी सदस्य को, सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है,

हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास हो न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उनकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्बन्धित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां; सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह, नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी समय भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट–क

(देखिये नियम–3)

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
	लिपिकीय संवर्ग				
1	सामान्य सहायक (विमानून)	1	—	1	1,640–50–2,600–द० रो०–75–2,900 रुपये
2	मुख्य सहायक (लेखा)	1	—	1	1,640–50–2,600–द० रो०–75–2,900 रुपये
3	लेखाकार	1	1	2	1,400–40–1,600–50–2,300–द० रो०–60 2,600 रुपये
4	सहायक	4	—	4	1,400–40–1,600–50–2,300–द० रो०–60–2,600 रुपये
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	—	1	1,400–40–1,600–50–2,300–द० रो०–60–2,600 रुपये
6	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	1	2	1,200–30–1,560–द० रो० 40–2,040 रुपये
7	चालक	2	1	3	1,200–30–1,150–द० रो०–40–2,040 रुपये
8	आशुटंकक	2	—	2	950–20–1,150–द० रो० 25–1,500 रुपये
9	लिपिक	5	2	7	950–20–1,150–द० रो०–25–1,500 रुपये
10	लेखा लिपिक	1	—	1	950–20–1,150–द० रो०–25–1,500 रुपये
	तकनीकी संवर्ग				
1	वैल्डिंग इंजीनियर	—	1	1	1,640–50–2,600–द० रो०–75–2,900 रुपये
2	वरिष्ठ मैकेनिक	2	2	4	1,400–40–1,600–50–2,300–द० रो०–60–2,600 रुपये

1	2	3	4	5	6
3	भण्डारी (सुपरवाईजर)	1	—	1	1,400-40-1,600-50-2,300-द० रो०-60 2,600 रुपये
4	कनिष्ठ मैकेनिक	2	4	6	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
5	बिजली मिस्त्री	—	1	1	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
6	बैंच फिटर-एवं-खरादी	—	1	1	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
7	डोप कामगार-एवं रंगसाज	—	1	1	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
8	काष्ठकार एवं ग्लाईडर मैकेनिक	—	1	1	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
9	कपड़ा क्रमिक एवं दर्जी	—	1	1	1,200-30-1,560-द० रो०-40-2,040 रुपये
10	भण्डारी	—	1	1	950-20-1,150-द० रो०-25-1,500 रुपये
11	स्टोरमैन	1	—	1	950-20-1,150-द० रो०-25- 1,500 रुपये

परिशिष्ट—ख

(देखिये नियम 7)

क्रमांक	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हों	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
	लिपिकीय संवर्ग		
1	सामान्य सहायक (मिसलन)	—	(i) मैट्रिक या हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिये सहायक के रूप में ⅓ कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए ।
2	मुख्य सहायक (लेखा)	—	(i) मैट्रिक या हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिये सहायक के रूप में ⅓ कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए ।

1	2	3	4
3	लेखाकार	—	(i) मैट्रिक या हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लेखा लिपिक अथवा लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक व आशुटंकक को अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिये लिपिक के रूप में $\frac{1}{3}$ कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए ।
4	सहायक	—	(i) मैट्रिक या हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लेखा लिपिक अथवा लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक को आपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिये लिपिक के रूप में $\frac{1}{3}$ कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए ।
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपि में 100/80 शब्द प्रति मिन्ट की गति से तथा 20/15 शब्द प्रति मिन्ट की गति से उसके प्रतिलेखन की प्रवीणता ।	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) विभाग द्वारा यथा संचालित अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों आशुलिपि में 150/80 शब्द प्रति मिन्ट की गति से तथा 20/15 शब्द प्रति मिन्ट की गति से उसके प्रतिलेखन में विभागीय परीक्षा पास करने अधीन रहते हुए कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
6	कनिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों आशुलिपि में क्रमश: 80/64 शब्द प्रति मिन्ट की गति तथा क्रमश: 15/11 शब्द प्रति मिन्ट की गति से उसके प्रतिलेखन करने की प्रवीणता ;	(iii) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा जो विभाग द्वारा यथा-संचालित अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों आशुलिपियों में 80/64 शब्द प्रति मिनट की गति से तथा 15/11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में विभागीय परीक्षा पास करना है ।
7	चालक	(i) हिन्दी सहित आठवीं पास ;	(i) हिन्दी सहित आठवीं पास ;
		(ii) हल्के परिवहन वाहन तथा भारी परिवहन वाहन को चलाने का वैध लाईसेंस रखता हो ;	(ii) हल्के परिवहन वाहन को चलाने सम्बन्धी लाईसैंस रखता हो ;
		(iii) अकुशल ड्राईविंग के लिये किसी भी अपराध में सिद्ध दोष नहीं होना चाहिये ;	(iii) ग्रुप-घ में कार्य कर रहे दफ्तरी, जमादार, सेवादार, चौकीदार-एवं-माली, चौकीदार-एवं-माली-एवं-स्वीपर, माली एवं चौकीदार और मद्दगार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव और जो विभाग द्वारा संचालित ड्राईविंग टैस्ट में उत्तीर्ण हो ।
		(iv) हल्के वाहन को चलाने का तीन वर्ष का अनुभव तथा भारी वाहन को चलाने का पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये ; या	
		भूतपूर्व सैनिक होने की दशा में भारी/हल्के वाहन को चलाने का 10 वर्ष का अनुभव ।	

1	2	3	4
8	आशुटंकक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी /10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि में 80/64 शब्द प्रतिमिन्ट की गति तथा क्रमश: 15/11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की प्रवीणता ।	(iii) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव जो विभाग द्वारा यथा संचालित अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपि में क्रमश: 80/64 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 15/11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में विभागीय परीक्षा पास करता है ।
9	लिपिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप का ज्ञान ।	(iii) दफतरी, सेवादार, जमादार, चौकीदार–एवं–माली, चौकीदार–एवं–माली एवं स्वीपर, माली–एवं–चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iv) वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी पदोन्नति के एक वर्ष के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप परीक्षा पास करने के बाद ही दी जायेगी ।
10	लेखा लिपिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1	2	3	4
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(iii) दफतरी, जमादार, सेवादार, चौकीदार-एवं-माली, चौकीदार-एवं-माली एवं स्वीपर, माली एवं चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
		(iii) लेखा मामलों के निपटान में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये ;	
		(iv) अंग्रेजी या हिन्दी में क्रमश: 30/25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप का ज्ञान ।	(iv) वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी पदोन्नति के एक वर्ष के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप परीक्षा पास करने के बाद ही दी जायेगी ।
	तकनीकी संवर्ग		
1	वैल्डिंग इंजीनियर	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) भारत सरकार के महानिदेशक, सिविल विमान्न द्वारा बैल्डर (विमान्न) के रूप में अनुमोदित ;
		(iii) भारत सरकार के महा-निदेशक, सिविल विमान्न द्वारा बैल्डर (विमान्न) के रूप में अनुमोदित ।	(iii) वरिष्ठ मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
		(iv) विमान्न बैलडिंग का तीन वर्ष का अनुभव ।	
2	वरिष्ठ मकैनिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ।	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) कनिष्ठ मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
		(iii) पांच वर्ष के अनुभव सहित विमान्न मैटीनेंस इंजीनियरिंग में अनुमोदित पाठ्यक्रम का सफलता-पूर्वक पूरा होना ।	
3	भण्डारी (सुपरवाईजर)	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;

1	2	3	4
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) विमान्न स्टोरज की देखभाल का पांच वर्ष का अनुभव ।	(ii) भण्डारी/स्टोरमैन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
4	कनिष्ठ मैकेनिक	(i) मैट्रिक /हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) एयरक्रफ्ट मैंटीनैंस इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करना ।	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) विमान्न मद्दगार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
5	बिजली मिस्त्री	(i) मैट्रिक /हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) बिजली मिस्त्री का आई. टी. आई. डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ; (iv) बिजली मिस्त्री के रूप में में तीन वर्ष का अनुभव;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) बिजली मिस्त्री का काम जानने वाले मद्दगारों के रूप में पांच वर्ष का का अनुभव ।
6	बैंच फिटर -एवं-खरादी	(i) मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+ 2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) फिटर/खरादी का आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा ; (iv) किसी भी विमान्न आटो-मोबाइल कर्मशाला में काम का दो वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मद्दगार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
7	डोप कामगार-एवं-रंगसाज	(i) मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) डोप/रंगसाज का आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा ।	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+2 (व्यव-सायिक) या इसके समकक्ष ; (ii) मद्दगार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
		(iv) किसी भी विमान्न कर्मशाला का दो वर्ष का अनुभव ।	
8	काष्ठकार–एवं–प्लाईडर मैकैनिक	(i) मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+2 (व्यव–सायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(ii) बतौर विमान्न हैल्पर पांच वर्ष की सेवा ;
		(iii) काष्ठकारी का आई. टी. आई. डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ;	(iii) विमान्न कर्मशाला में काष्ठ-कारी का काम जानने वाले मद्दगारों के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
		(iv) किसी भी विमान्न आटो–मोबाइल कर्मशाला में दो वर्ष का अनुभव।	
9	कपड़ा श्रमिक–एवं-दर्जी	(i) मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+2(व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) विमान्न कर्मशाला में अधि–मानत: दर्जी एवं कपड़े का काम जानने वाले मद्दगार के रूप में पांच वर्ष का का अनुभव ।
		(iii) कपडा/दर्जी के काम का आई. टी. आई. डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र ।	
		(iv) दर्जी के काम में दो वर्ष का अनुभव ।	
10	भण्डारी	(i) मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+2(व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मद्दगार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
		(iii) तकनीकी स्टोरज की देख–भाल का दो वर्ष का अनुभव।	
11	स्टोरमैन	(i) मैट्रिक /हायर सैकैण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक/हायर सैकैण्डरी/10+2(व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(ii) मद्दगार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
		(iii) तकनीकी स्टोरज की देख-भाल का दो वर्ष का अनुभव।	

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6
लिपिकीय संवर्ग :			1. छोटी शास्तियां :		
1	सामान्य सहायक (विमान्न)	सलाहकार	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	सलाहकार	सरकार
2	मुख्य सहायक (लेखा)		(ii) परिनिन्दा;		
3	लेखाकार		(iii) पदोन्नति रोकना;		
4	सहायक				
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण		
6	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
7	चालक				
8	आशटंकक				
9	लिपिक				
10	लेखा लिपिक				
तकनीकी संवर्ग :					
1	वैल्डिंग इंजीनियर				

1	2	3	4	5	6
			या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
2	वरिष्ठ मैकैनिक		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ।		
3	भण्डारी (सुपरवाईजर)				
4	कनिष्ठ मैकेनिक				
5	बिजली मिस्त्री				
6	बैंच फिटर–एवं–खरादी				
7	डोप कामगार–एवं–रंगसाज				
8	काष्ठकार–एवं–ग्लाईडर मैकैनिक		2. बड़ी शास्तियां :		
9	कपड़ा कामगार–एवं–दर्जी		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;		
10	भण्डारी		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
11	स्टोरमैन		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी		

1	2	3	4	5
			चारी के उस समय वेतन-मान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणत: रोक होगी। ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तें सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;	
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;	
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये अयोग्यता नहीं होगी ;	
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यत: अयोग्यता होगी।	

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
	लिपिकीय संवर्ग :			
1	सामान्य सहायक (विमान्न)			
2	मुख्य सहायक (लेखा)			
3	लेखाकार			
4	सहायक			
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सलाहकार	सरकार
6	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
7	चालक			
8	आशुटंकक			
9	लिपिक			
10	लेखा लिपिक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु प्राप्त करने से पूर्व नियुक्ति की समाप्ति ।		
	तकनीकी संवर्ग :			
1	वैल्डिंग इंजीनियर			

1	2	3	4	5
2	वरिष्ठ मैकेनिक			
3	भण्डारी (सुपरवाईजर)			
4	कनिष्ठ मैकेनिक			
5	बिजली मिस्त्री			
6	बैंच फिटर-एवं-खरादी			
7	डोप कामगार-एवं-रंगसाज			
8	काष्ठकार-एवं-ग्लाईडर मैकेनिक			
9	कपड़ा कामगार-एवं दर्जी			
10	भण्डारी			
11	स्टोरमैन			

एल० एम० गोयल,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग।

145

भाग III

हरियाणा सरकार

सिविल विमान्न विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जून, 2004

संख्या सा०का०नि० 21/संवि०/अनु० 309/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल विमान्नं (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल विमान्न (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल विमान्न (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, "तकनीकी संवर्ग" शीर्ष के नीचे, खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) वरिष्ठ मैकेनिक (इलैक्ट्रोनिक्स) की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;"।

3. उक्त नियमों में, "परिशिष्ट-क" के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
	लिपिकीय संवर्ग				
1.	सामान्य सहायक (विमान्न)	1	—	1	5500–175–8300–द०रो०–175–9000 रुपये
2.	मुख्य सहायक (लेखा)	1	—	1	5500–175–8300–द०रो०–175–9000 रुपये

1	2	3	4	5	6
3.	लेखाकार	1	1	2	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
4.	सहायक	4	—	4	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	—	1	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	1	2	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
7.	चालक	2	1	3	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
8.	आशुटंकक	2	—	2	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 रुपये
9.	लिपिक	5	2	7	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 रुपये
10.	लेखा लिपिक	1	—	1	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 रुपये
	तकनीकी संवर्ग				
1.	वैल्डिंग इन्जीनियर	—	1	1	5500–175–8300–द०रो०–175–9000 रुपये
2.	वरिष्ठ मैकेनिक	2	1	3	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
3.	वरिष्ठ मैकेनिक (इलैक्ट्रोनिक्स)	—	1	1	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
4.	भण्डारी (सुपरवाईजर)	1	—	1	5000–150–7100–द०रो०–150–7850 रुपये
5.	कनिष्ठ मैकेनिक	2	4	6	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
6.	बिजली मिस्त्री	—	1	1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये

1	2	3	4	5	6
7.	बैंच फिटर एवं खरादी	—	1	1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
8.	डोप कामगार एवं रंगसाज	—	1	1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
9.	काष्ठाकार एवं ग्लाईडर मैकेनिक	—	1	1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
10.	कपड़ा श्रमिक एवं दर्जी	—	1	1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 रुपये
11.	भण्डारी	—	1	1	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 रुपये
12.	स्टोरमैन	1	—	1	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 रुपये।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट-ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, "तकनीकी संवर्ग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"2क	वरिष्ठ मैकेनिक (इलैक्ट्रोनिक्स)	(i) 10+2 विज्ञान सहित ;	(i) 10+2 विज्ञान सहित ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) रेडियो/टेलीविजन/इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से दो वर्ष का प्रमाण पत्र ;	(iii) रेडियो/टेलीविजन/इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से दो वर्ष का प्रमाण पत्र ;
		(iv) रेडियो/टेलीविजन मैकेनिक अनुरक्षण संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ;	(iv) रेडियो/टेलीविजन मैकेनिक अनुरक्षण संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ;
		या	या
		एक्स एयरफोर्स (रेडियो/राडार ट्रेड) का 15 वर्ष का अनुभव ;	एक्स एयरफोर्स (रेडियो/राडार ट्रेड) का 15 वर्ष का अनुभव ;
		या	या

1	2	3	4
		दो वर्ष अनुभव के साथ महानिदेशक, सिविल विमान्न, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्रारम्भिक वायुयान रखरखाव अभियन्ता पाठ्यक्रम (रेडियो) ;	दो वर्ष अनुभव के साथ महानिदेशक, सिविल विमान्न, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्रारम्भिक वायुयान रखरखाव अभियन्ता पाठ्यक्रम (रेडियो) ;
		या	या
		महानिदेशक, सिविल विमान्न, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित रेडियो प्रयोगशाला में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।	महानिदेशक, सिविल विमान्न, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित रेडियो प्रयोगशाला में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।"।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट-ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, "तकनीकी संवर्ग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2
"2क	वरिष्ठ मैकेनिक (इलैक्ट्रोनिक्स)।"।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट-घ में, खाना 1, 2, 3, 4 तथा 5 के नीचे, "तकनीकी संवर्ग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2
"2क	वरिष्ठ मैकेनिक (इलैक्ट्रोनिक्स)।"।

डी० एस० ढेसी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमान्न विभाग।